उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

18–ए, न्याय मार्ग, प्रयागराज–211 001

उ0शि0आयोग/ सी–814/101 (1)/2020–21 दिनांकः 15 जून, 2021

प्रेस–विज्ञप्ति

विज्ञापन सं0–49 में विज्ञापित प्राचार्य पदों के विरूद्व साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये 610 अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का साक्षात्कार से पूर्व सत्यापन हेतु दिनांक– **21.06..2021 से 16.07..2021** तक अभ्यर्थियों को उनके मूल अभिलेखों से मिलान हेतु सभी शैक्षणिक अभिलेखों, शिक्षण अनुभव, शोध गाइडेन्स/अन्य शोध कार्य, शोध पत्रिका के यू.जी.सी. सूची में होने तथा आई.एस.एस. संख्या, इम्पैक्ट फैक्टर का प्रमाण–पत्र, प्रकाशित पुस्तक के आई.एस.वी.एन. संख्या का प्रमाण–पत्र एवम API हेतु क्लेम किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियॉ की स्वप्रमाणित दो–दो छाया प्रतियों तथा आयोग के पोर्टल पर दिया गया शपथ–पत्र जिसका प्रारूप संलग्न है तथा भारत/राज्य सरकार द्वारा अधिकृत केन्द्रों से साक्षात्कार तिथि से अधिकतम 03 दिन पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट सहित पूर्वान्ह 10:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित हो। उक्त अभिलेखों के साथ पूर्वान्ह 10:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना उनके पंजीकृत ईमेल पर एवं उनके मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना प्रेषित की जा रही है। उक्त क्रम में **दिनांक 21.06..2021 से 16.07..2021** तक उक्त अभिलेखों के सत्यापन हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों का विवरण आयोग के पोर्टल www.uphesconline.org पर उपलब्ध हैं। कृपया उक्त के क्रम में समस्त अभिलेखों के साथ यथासमय आयोग कार्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें। इस हेतु कोई यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। तिथिवार मूल अभिलेखों से मिलान हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक संलग्न हैं। मूल अभिलेखों के सत्यापन के समय आयोग में बिना मास्क एवम् फेस शील्ड के प्रवेश नहीं दिया जायेगा साथ ही कोविड– 19 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन न करने अथवा कोविड– 19 बीमारी की सूचना छिपाने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

मूल अभिलेखों के सत्यापन के उपरान्त आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित करने के उपरान्त ही साक्षात्कार हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

सचिव
उ0शि0 आयोग

(वन्दना त्रिपाठी)
सचिव